

18/4/2022

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

18/2
8/3
28/3
18/4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)


प्रार्थी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	अप्रार्थी अर्जुनसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत मंगलपुरा वगैरह
--	--

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना-पत्र नम्बर 14 / 2022 GCMS No. 2022/ 32

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

31.01.2022 राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्राधीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.02.2022 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16/2/2022

पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 8/3/2022 को पेश हो।

8/3/2022


पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 8/3/2022 को पेश हो।


पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 18/4/2022 को पेश हो।

सुप्रीम कोर्ट 14/04/2020 Writ 2020/32

18/4/2020 पत्राचार की तैयारी सुधार का संयोजक किया गया
राज्य सरकार की तैयारी नहीं है तथा प्रशासनिक
विभागों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारंभ
के अन्तर्गत राजस्व लेखन के परिपत्र क्रमांक/प-3
(18) सं. 16/2020 जारी 31 दिनांक 30.9.2020 के बिन्दु क्रमांक 4
" जहां पर राजस्व लेखन/प्रशासनिक सभी श्रेणियों के लिए सुधार रहा है, जहां
पर विभिन्न संस्थाओं/संस्थानों को प्रशासनिक श्रेणियों में शामिल करना आवश्यक
निर्देश दिया जा रहा है कि विभागों को इस आदेशों के तहत तैयारी के लिए
आवश्यक सभी कार्यवाही के अन्तर्गत में प्रतिक्रिया आकारित करें।"

उक्त परिपत्र में इस प्रकार के कार्य नहीं लेना है कि जहां की-
राजस्व के लिए प्रशासनिक कार्य प्रारंभ किया जाये और प्रशासनिक
कार्य नहीं करने के अन्तर्गत किया जाये ही प्रशासनिक प्रशासनिक
कार्य प्रारंभ के लिए कार्य प्रारंभ करना है।


उपनिवेश अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)